

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर

(परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH BHUBANESWAR

(An autonomous Institution under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

निदेशालय/ DIRECTORATE

सं./No.: नाइसर- NISER/निदे.-DIR/का.आ.-OO/2020-21/ <u>३३</u>.

दिनांक/Date: 10.09.2020

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

नाइसेर उपनियम 2019 के खंड VI की धारा 35 के अनुसार, संस्थान में अनुसंधान एवं परामर्शीय गतिविधियों के समन्वयन हेतु निम्नलिखित अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया जाता है :

As per Clause 35, Chapter VI of the NISER Bye Laws 2019, the Research Advisory Committee is hereby constituted to coordinate research and consultancy activities of the institute.

समिति के सदस्य इस प्रकार हैं / The members of the committee are as follows:

- निदेशक / Director
- अधिष्ठाता, अनुसंधान एवं विकास
 Dean, Research & Development
- अध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान विद्यालय
 Chairperson, School of Physical Sciences
- अध्यक्ष, जैविक विज्ञान विद्यालय
 Chairperson, School of Biological Sciences
- अध्यक्ष, गणितीय विज्ञान विद्यालय
 Chairperson, School of Mathemátical Sciences
- अध्यक्ष, रासायनिक विज्ञान विद्यालय
 Chairperson, School of Chemical Sciences
- अध्यक्ष, संगणक / कम्प्यूटर विज्ञान विद्यालय
 Chairperson, School of Computer Science
- अध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यालय Chairperson, School of H.S.S
- प्रो. बेदांगदास मोहंती, प्रोफेसर, एस.पी..एस.
 Prof. Bedangadas Mohanty, Professor, SPS
- प्रो. ए. श्रीनिवासन, प्रोफेसर, एस.सी.एस.
 Prof. A. Srinivasan, Professor, SCS
- प्रो. वी. मुरुगानंदम, प्रोफेसर, एस.एम.एस.
 Prof. V. Muruganandam, Professor, SMS
- प्रशासनिक अधिकारी ।, अनुसंधान एवं विकास
 Administrative Officer-I, R & D Section

- अध्यक्ष / Chairman (पदेन /ex-officio)
- सह- अध्यक्ष (पदेन)
- Associate Chairperson (ex-officio)
- सदस्य (पदेन)
- Member (ex-officio)
- सदस्य
- Member
- सदस्य
- Member
- सदस्य
- Member
- असदस्यीय सचिव (पदेन)
- Non-Member Secretary (ex-officio)

इस समिति का प्रयोजन निमन्वत है / The mandate of this committee is as follows:

- 1. समिति संस्थान को अनुसंधान के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करने हेतु निदेशक एवं शासक मंडल को रणनीति एवं योजनागत सलाह देने के निकाय के रूप में कार्य करेगी।
 - The committee will function as the institute's strategy and planning body to advise the Director and the Board of Governors for establishing the institute as an institution of excellence in frontiers of research.
- 2. यह संस्थान के किसी भी शैक्षिक विद्यालयों, उनके संकाय सदस्यों द्वारा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण के लिए परियोजना प्रस्तावों सिहत चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की योजना तैयार करेगी तथा समय समय पर उनकी समीक्षा भी करेगी। आवश्यकतानुसार शोध प्रस्ताओं तथा गतिविधियों की समीक्षा हेतु यह बाहरी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी। It will plan and periodically review all ongoing research programs as well as those proposed to be undertaken at the institute by any of the Academic Schools and faculty members including Plan proposals for funding by the Government of India. It may invite outside experts to review various research proposals and activities as deemed necessary.
- उ. यह सिमिति नाइसर के शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा प्रायोजक संस्थाओं को प्रस्तुत किए जाने वाले परियोजना प्रस्तावों के लिए दिशानिर्देश तय करेगी । इन दिशा निर्देशों का नाइसर शासक मण्डल से अनुमोदन आवश्यक होगा। अधिष्ठाता-, अनुसंधान एवं विकास द्वारा नाइसर के शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शोध परियोजना प्रस्तावों को प्रयोजक संस्थाओं को इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत अग्रसारित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा । ऐसे सभी प्रस्ताव सिमिति को सूचित किए जाएंगे।
 - The committee will frame guidelines for project proposals to be submitted by the academic staff of NISER to the sponsoring agencies. This has to be approved by the Board of Governors. Dean R&D would be authorized to forward project proposals submitted by academic staff of NISER to sponsoring agencies subject to these guidelines. All such proposals will be reported to the Committee.
- 4. सिमिति हमारे कर्मचारी सदस्यों द्वारा बाहरी संगठनों के लिए किए जाने वाले परामर्शीय कार्यों के लिए एक पूर्णतया पारिभाषित नीति तैयार करेगी। इस नीति का नाइसर शासक मण्डल से अनुमोदन आवश्यक होगा। अधिष्ठाता, अनुसंधान एवं विकास द्वारा नाइसर के शैक्षिक कर्मचारियों को बाहरी संगठनों के लिए किए जाने वाले परामर्शीय कार्यों को इसी नीति के तहत करने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।
 - The committee will frame a well-defined policy for consultancy work for outside organizations to be taken up by our staff members. This policy has to be approved by the Board of Governors. Dean R&D would be authorized to allow staff members to undertake consultancy work for outside organization subject to these guidelines.
- 5. सिमिति स्टार्ट-अप, इंक्यूबेशन केंद्रों, बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा संस्थान में उद्योगों के साथ अनुसंधान के संयोजन के मामले भी निपटायेगी।
 - The committee will also deal with matters related to start-up, incubation centers, intellectual property rights and linkage of research at the institute with the industry.

पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों की सदस्यता की अवधि इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले आए तक होगी।

The term of membership of other than ex-officio members shall be three years from date of issue of this order or date of superannuation whichever is earlier.

निदेशक / DIRECTOR

प्रतिलिप / Copy to -

- 1. संबन्धित ब्यक्तिगण / Persons Concerned
- 2. सभी अधिष्ठाता एवं संकाय प्रभारी / All Deans & FICs
- 3. कुलसचिव / Registrar